XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–43/2000
धारा 21 B.P.P.H.T Act अंतर्गत

गिरधारी मंडल, पिता–स्व0 जागेश्वर मंडल, सा0–हरनाहा, थाना–रूपौली, जिला– पूर्णियाँ

.....आवेदक

बनाम

1. नागो मंडल,
2. जागो मंडल

दोनों का पिता– स्व0 हियालाल मंडल, साकिन–हरनाहा, थाना–रूपौली, जिला– पूर्णियाँ

.....

विपक्षीगण

आदेश

आवेदक अंचल पदाधिकारी, रूपौली द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0 348/97–98 एवं वाद सं0 349/97–98 में दिनांक 24.11.97 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया गया है। आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन थाना नं0 281/2, खाता सं0 197, खेसरा सं0 564/847, रकबा 11 डिसमिल मकानमय साहन के रूप में स्व0 मोहन मंडल, पिता स्व0 दुखा मंडल के नाम आर0 एस0 खतियान में दर्ज था। भू–स्वामी मोहन मंडल वर्ष 1970 में निःसंतान स्वर्गीय हो गए। उनके मृत्यु के पश्चात भू–स्वामी के अन्य हिस्सेदारों ने उपरोक्त जमीन रजिस्टर्ड केवाला द्वारा डीड सं0 7339 दिनांक 25.03.1972 एवं डीड सं0 3659 दिनांक 19.04.1974 द्वारा आवेदक के पास बेच दिया। प्रश्नगत जमीन में आवेदक का घर बना हुआ है तथा विपक्षी का घर प्रश्नगत जमीन के बगल में खेसरा सं0 564/846 में बना हुआ है। विपक्षी ने अंचल कार्यालय को मेल में लेकर अपना घर आवेदक के जमीन में दिखलाकर गलत पर्चा बनवा लिया। साथ ही पर्चा निर्गत करने से पूर्व भू–धारी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन भू धारी के रूप में वर्ष 1970 में स्वर्गीय हुए पूर्व भू–धारी स्व0 मोहन मंडल को पक्षकार बनाया गया, जबकि वर्ष 1997–98 में जमीन का वास्तविक मालिक आवेदक थे। इस प्रकार कानूनी प्रक्रियाओं को नजर अंदाज कर गलत पर्चा अंचल पदाधिकारी, रूपौली द्वारा निर्गत किया गया। उल्लेखनीय है कि बासगीत पर्चा वाद सं0 348/97–98 द्वारा विपक्षी सं0–2 एवं वाद सं0 349/97–98 द्वारा विपक्षी सं0–1 को पर्चा निर्गत किया गया है। विपक्षीगण को अपना घर है और प्रश्रय प्राप्त रैयत भी नहीं है। अतः आवेदक न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षीगण के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदक ने अपने आवेदन द्वारा न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। प्रश्नगत जमीन के खतियान के अभ्युक्ति में भाईलाल मंडल, जयलाल मंडल एवं बाबू लाल मंडल (विपक्षी के पिता) का दखल एवं कब्जा अंकित है। आवेदक का केवाला भी गलत है। विपक्षी का घर प्रश्नगत जमीन पर बना हुआ है और अंचल कार्यालय द्वारा सभी

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रक्रियाओं को पूरा कर पर्चा निर्गत किया गया है। विपक्षी गरीब है और इसके अतिरिक्त अन्य कहीं जमीन नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रारंभ किये गए इस वाद को खारिज करने का अनुरोध विपक्षी कर रहा है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 15.07.2011 को सुना गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक अनुपस्थित था। पूर्व में भी लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें दिनांक 11.03 2011 एवं 08.07.2011 को उपस्थित रहनें हेतु अंतिम मौका दिया गया। परन्तु सुनवाई की स्पष्ट जानकारी के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने से स्पष्ट होता है कि आवेदक को इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है।

विपक्षी का कथन है कि वे विवादित जमीन के दखल--कब्जा में है। इनके नाम से लगान रसीद भी काटा जा रहा है। आवेदक के द्वारा जा नुझकर इस वाद के निष्पादन में विलम्ब किया जा रहा है।

पुनः दिनांक 09.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई से स्पष्ट हुआ कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक का आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं इस वाद को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ